एक नजर में

एलएलबी चतुर्थ सेमेस्टर में पूछे आउट आफ सिलेबस प्रश्न

बालाघाट : छिंदवाड़ा के राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय से संबद्ध बालाघाट के पीजी महाविद्यालय में एलएलबी द्वितीय, चतुर्थ और छठे सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है। शुक्रवार को दोपहर दो बजे चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर होना था, लेकिन परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद ही यूनिवर्सिटी ने पेपर निरस्त कर दिया। चतुर्थ सेमेस्टर का पांचवां पेपर "वूमेन एंड चाइल्ड" विषय का था। पेपर का कोड और हेडिंग भी टाइम टेबल के अनुसार था, जब विद्यार्थियों ने प्रश्नों को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि पेपर में पूछे गए प्रश्न पांचवें और छठे सेमेस्टर के सिलेबस के हैं। -नप्र

चीते ने किया पाड़े का शिकार, वीडियो बहुप्रसारित

श्योपुर : श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क के रिजर्व जोन से निकलकर धनाचया गांव के पास सामान्य वन मंडल के जंगल में पहुंचे एक चीता ने छोटे पाड़े का शिकार कर उसे अपना निवाला बना लिया। चीते को अचानक अपने मवेशियों के बीच देखकर पशुपालकों के होश उड़ गए और वह मवेशियों को छोड़कर दूर भाग खड़े हुए। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।-नप्र

बरसात में खिल उठता है मांडू-महेश्वर का सौंदर्य

प्रकृति, इतिहास और आध्यात्म का आप अनूठा अनुभव लेना चाहते हैं तो मांडू और महेश्वर की यात्रा है बेहतरीन विकल्प

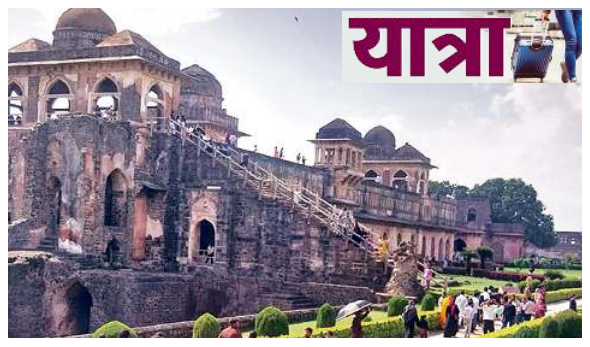

मांडू के किले का सौंदर्य पर्यटकों को बरबस अपनी ओर खींचता है ● नवदुनिया

प्रदीप दीक्षित ● नवदुनिया

मांडू: बरसात का मौसम शुरू होते ही मालवा-निमाड़ का रंग ही बदल जाता है। बारिश की फुहारों से धुले किले, हरियाली से ढकी पहाड़ियां, बादलों में खोए से महल और नर्मदा के शांत घाट इस मौसम को यात्रा के लिए सबसे खास बना देते हैं। यदि आप भी इतिहास, प्रकृति और आध्यात्म का अनूठा अनुभव लेना चाहते हैं तो मांडू और महेश्वर की यात्रा बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यह यात्रा आपको मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही स्थानीय जीवन से बहुत नजदीक रूबरू कराती है।

पहला पड़ाव : 'सिटी आफ जाय' मांडू में देखें जहाज महल

बारिश की फुहारों में और भी खूबसूरत दिखता है मांडू का जहाज महल ● नवदुनिया

धार जिले की पर्यटन नगरी मांडू को 'सिटी आफ जाय' कहा जाता है। मानसून में इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। बादलों के बीच खड़ा जहाज महल ऐसा लगता है मानो पानी पर तैर रहा हो। रानी रूपमती महल से नर्मदा घाटी का विहंगम दृश्य और पहाड़ियों पर तैरते बादल पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। हिंडोला महल, जामा मस्जिद, होशंगशाह का मकबरा और अशर्फी महल इतिहास प्रेमियों के लिए खास आकर्षण हैं। मांडू की यात्रा के दौरान धार स्थित भोजशाला भी जरूर जाएं। मां वाग्देवी सरस्वती से जुड़ा यह ऐतिहासिक स्थल मालवा की ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की महत्वपूर्ण पहचान है।

दूसरा पड़ाव : नर्मदा किनारे महेश्वर

मां अहिल्या के किले का विहंगम दृश्य।

मांडू से आगे महेश्वर पहुंचते ही वातावरण बदल जाता है। नर्मदा के शांत घाट, अहिल्याबाई होलकर का किला और शाम की आरती मन को गहरा सुकून देती है। मानसून में उफनती नर्मदा और हरे-भरे घाटों का दृश्य अविस्मरणीय होता है। यहां अहिल्याबाई किला, राजराजेश्वर मंदिर, नर्मदा घाट और महेश्वरी साड़ियों के हथकरघा केंद्र प्रमुख आकर्षण हैं।

निजी होटल, गेस्ट हाउस और होमस्टे हैं उपलब्ध

मांडू में मध्य प्रदेश टूरिज्म के मालवा रिसार्ट और मालवा रिट्रीट के अलावा निजी होटल, गेस्ट हाउस और होमस्टे उपलब्ध हैं। महेश्वर में नर्मदा रिट्रीट, अहिल्या फोर्ट हेरिटेज होटल सहित विभिन्न बजट और प्रीमियम होटल हैं।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

ऐसे पहुंचे यहां

निकटतम एयरपोर्ट इंदौर है। इंदौर से मांडू लगभग 100 किमी और महेश्वर लगभग 90 किमी दूर है। दोनों स्थानों के लिए नियमित बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। निजी वाहन से इंदौर-धार-मांडू-महेश्वर का सर्किट एक या दो दिन में आराम से घूमा जा सकता है। रेल यात्रियों के लिए इंदौर सबसे नजदीकी रेवले स्टेशन है।

स्थानीय स्वाद का लुत्फ

मालवा-निमाड़ की यात्रा स्थानीय स्वाद के बिना अधूरी मानी जाती है। मांडू और धार में दाल-बाफला, भुट्टे का कीस, पोहा-जलेबी और स्थानीय नमकीन का स्वाद लें। महेश्वर में नर्मदा तट पर मिलने वाली मालवी थाली, कढ़ी-फाफड़ा, रबड़ी और स्थानीय मिठाइयां पर्यटकों को खूब पसंद आती हैं।

यात्रा में इनका रखें ख्याल

बारिश के मौसम में फिसलन वाले स्थानों पर सावधानी रखें, छाता या रेनकोट साथ रखें और किलों व घाटों पर निर्धारित सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। सुबह और शाम का समय फोटोग्राफी के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है।

बेंगलुरु की शिक्षिका से 24 करोड़ की साइबर ठगी के तार ग्वालियर में जुड़े

नवदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर : बेंगलुरु की सेवानिवृत्त शिक्षिका को डिजिटल अरेस्ट कर 24 करोड़ रुपये की ठगी के तार ग्वालियर से जुड़ने के बाद पुलिस ने एफआइआर दर्ज की है। यहां सराफा कारोबारी अजय मंगल के शोरूम गहना ज्वेलर्स से 50 ग्राम सोना म्यूल खाते के एजेंट ने खरीदा, इसके एवज में 7.41 लाख रुपये भुगतान किया। 7.41 लाख रुपये में से 5.10 लाख रुपये इसी साइबर ठगी के थे।

कोतवाली थाना पुलिस ने सराफा कारोबारी की शिकायत पर एफआइआर दर्ज की है। इस तरह का यह दूसरा मामला है, जब साइबर ठगी की रकम ग्वालियर में इस तरह से खपाई गई। पुलिस ने अभिषेक परिहार निवासी बहोड़ापुर पर एफआइआर दर्ज की है। इसी ने सोना खरीदा था और बैंक खाते से भुगतान किया था।

बता दें कि बेंगलुरु में 74 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका लक्ष्मी राममूर्ति को शातिर ठगों ने सीबीआइ और ईडी का अफसर बनकर डराया था। उन्हें 10 फरवरी से 24 अप्रैल तक डिजिटल अरेस्ट रखा। उनसे 24 करोड़ रुपये ठगे थे। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने एफआइआर दर्ज की थी। रुपया देश के तमाम राज्यों के म्यूल खातों में गया था। जांच में पता चला कि ग्वालियर के सराफा बाजार में गहना ज्वेलर्स पर अभिषेक परिहार निवासी बहोड़ापुर सोना खरीदने पहुंचा था। वह एक अप्रैल को गया था। उसने 50 ग्राम सोने का सिक्का खरीदा। सोने का सिक्का खरीदने के बाद उसने एक लाख रुपये का भुगतान किया। फिर पांच अप्रैल को सिक्का लेने पहुंचा। इस दौरान उसने 6.41 लाख रुपये का भुगतान किया। इसमें से 5.10 लाख रुपये आनलाइन भुगतान किया। जिस खाते से गहना ज्वेलर्स के खाते में भुगतान किया, वह म्यूल खाता था। इस खाते में शिक्षिका से ठगी गई राशि में से करीब 10 लाख रुपये आए थे। इसमें से 5.10 लाख रुपये का भुगतान यहां किया गया। उस समय कारोबारी को पता नहीं लगा। कारोबारी को तब पता लगा, जब 24 अप्रैल को उनका खाता फ्रीज कर दिया गया। कर्नाटक पुलिस का नोटिस भी उनके पास आया। फिर कारोबारी ने कोतवाली थाने में शिकायती आवेदन किया।

मप्र के चावल घोटाले में दो राइस मिल संचालक गिरफ्तार, एक हिरासत में

नवदुनिया फालोअप

नवदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: मध्य प्रदेश में एथनाल के नाम पर किए गए करोड़ों के सरकारी फोर्टिफाइड चावल घोटाले की जांच कर रही एसआइटी ने मप्र के पूर्व मंत्री व भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे के बड़े भाई कुमार कावरे के व्यापार साझेदार विनोद शर्मा को गिरफ्तार किया है। शर्मा बालाघाट के टेकाड़ी स्थित हर्ष राइस इंडस्ट्री में कावरे का साझीदार है। वहीं बालाघाट के वारासिवनी स्थित संचेती राइस के संचालक राजेश उर्फ राजू संचेती को एसआइटी ने महाराष्ट्र के भद्रावती से गिरफ्तार किया है। सिवनी जिले की नंदगोपाल राइस मिल के संचालक सोनू जैन को उत्तर प्रदेश के नोएडा से हिरासत में लिया गया है।

पुलिस ने राजेश संचेती और विनोद शर्मा को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया। पूछताछ के लिए दोनों आरोपितों की पांच दिनों की रिमांड ली गई है। इस मामले में अब तक 12 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि चार लोग फरार हैं। फरार आरोपितों की धरपकड़ के लिए एसआइटी की टीमें कई राज्यों में दबिश दे रही है। एथनाल प्लांट के साझेदार मालिक अरुण सिंघल, अभिनव सिंघल और मनोज शर्मा गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं।

आरोपित विनोद शर्मा को न्यायालय ले जाते हुए अधिकारी ● नवदुनिया

एसआइटी को जांच में सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें राजेश संचेती एवीजे एथनाल प्लांट के लिए रिलीज हुए चावल को दो जून को अपनी राइस मिल में उतरवाते नजर आ रहा है। एसपी आदित्य मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। राजेश ने खड़े रहकर ट्रक क्रमांक सीजी 04 एचबी 5082 में लदीं सरकारी चावल की दो हजार बोरियां उतरवाई थीं और बोरियों में लगे टैग फेंक दिये थे। एसआइटी ने खाली बोरियां और टैग बरामद किए हैं। वहीं, पूर्व मंत्री के भाई की हर्ष राइस इंडस्ट्री में भी हुई चावल की हेराफेरी के सुबूतों के आधार पर विनोद शर्मा को आरोपित बनाया गया है। मामले में पूर्व मंत्री के भाई कुमार कावरे और भतीजे अनिवाश कावरे से भी एसआइटी ने लंबी पूछताछ की है। जबकि राजेश संचेती वारासिवनी में संचेती राइस मिल, संचेती उद्योग और संचेती सार्टेक्स नाम से कंपनी संचालित करता है। इनके संचालन में संचेती परिवार के सौरभ व गंभीर भी शामिल हैं। सौरभ और गंभीर डेढ़ महीने से फरार हैं। राजेश अपनी कंपनी का वित्तीय प्रबंधन संभालता है। राजेश वैसे तो सराफा कारोबारी है, लेकिन उसने संचेती इंडस्ट्री में 50-60 लाख रुपये का निवेश किया था। मामूल हो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट व सिवनी जिलों में चावल घोटाले का मामला तीन जून को सामने आया था। बालाघाट में 242 क्विंटल सरकारी चावल का ट्रक पकड़े जाने के बाद जांच एसआइटी को दी गई।

नर्सिंग अधिकारी निलंबित, सीएमएचओ सिविल सर्जन व ड्यूटी डाक्टर को नोटिस

नवदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी : कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने के साथ स्वास्थ्य विभाग की छवि धूमिल करने पर जिला अस्पताल में पदस्थ नर्सिंग अधिकारी भावना चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सीएमएचओ, सिविल सर्जन व ड्यूटी डाक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला अस्पताल में चूहामार दवा खाने के बाद इलाज के लिए लाए गए सत्यम यादव निवासी वार्ड क्रमांक पांच डिंडौरी को मिनरल वाटर की बोतल चढ़ाने के मामले में ये कार्रवाई की गई है।

कलेक्टर ने बताया है कि जिला अस्पताल में 22 जुलाई को भर्ती मरीज के उपचार के दौरान स्थापित चिकित्सीय मानकों के विपरीत सामान्य स्लाइन वाटर के स्थान पर पैक्ड पेयजल की बोतल का उपयोग किए जाने संबंधी प्रकरण की जांच करायी गई।

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दूसरे भाई से भूखंड की धोखाधड़ी में पांच घंटे पूछताछ

नवदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : भूखंड की धोखाधड़ी के आरोपों पर इंदौर पुलिस ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के छोटे भाई भरत पटवारी से भी पूछताछ शुरू कर दी है। पायल साहनी की शिकायत पर राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने शुक्रवार को पांच घंटे तक उससे सवाल किए। भरत ने भी अपने भाई नाना पटवारी की तरह ज्यादातर सवालों के गोलमाल जवाब दिए और बिजलपुर के एक कालोनाइजर का नाम बताया। डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत के अनुसार, शिकायकर्ता पायल साहनी ने नाना पटवारी पर भूखंड की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आरोप है कि शुभम वैली स्थित इस भूखंड के रुपये नाना ने नहीं दिए हैं। पुलिस ने कालोनाइजर सुमित मंत्री से इस संबंध में तीन बार पूछताछ की है। नाना ने ही अपने भाई भरत पटवारी का बयान में उल्लेख करते हुए कहा था कि रियल एस्टेट संबंधी काम भरत ही करते हैं। डीसीपी के अनुसार, भरत ने 2005 में पटवारी रियल एस्टेट एजेंसी बनाई, जो बाद में कृष्णायन डेवलपर्स बन गई थी। एजेंसी ने एक जमीन की टीएनसी स्वीकृत करवाई और सुमित मंत्री से कालोनी का विकास करवाया। पुलिस ने भरत से शुभम वैली के भूखंड और अनुबंध के संबंध में पूछा तो उसने गांव में रहने वाले सुमित पटेल का नाम बताया।

कार्यालय नगरपालिक निगम, कटनी (म.प्र.)

क्र./313/लोनिवि/निर्माण/2026-27 — कटनी, दिनांक : 22/07/2026

प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नांकित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली के तहत पजीकृत फर्मो से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। समस्त शर्ते व जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन कार्य दिवस में अथवा https://mptenders.gov.in में देखी जा सकती है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1.	2026_UAD_523811_1	क्षेत्रीय बस स्टेंड झिन्झरी परिसर में मुख्य द्वार पर दुकानों के निर्माण कार्य	180 दिवस रु.115.36 लाख	रु.12,500 रु.57.680	24/08/26

नोट :- निविदा सम्बन्धी समस्त संशोधन सिर्फ ऑनलाइन अपलोड किये जावेगे, समाचार पत्र में नही।

कार्यपालन यंत्री
वास्ते-आयुक्त, नगरपालिक निगम, कटनी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

भविष्य निधि भवन, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) के पास, मुरैना लिंक रोड, ग्वालियर (म.प्र.) 474005

सार्वजनिक सूचना

जिला निधि आपके निकट 2.0 का आयोजन दिनांक 27.07.2026

क्र.	जिला	जिला नोडल अधिकारी/टीम सदस्य	आयोजन स्थल का नाम
1	ग्वालियर	श्री प्रदीप वर्मा, प्रवर्तन अधिकारी	ESIC कार्यालय, हरिओम कॉलोनी, 7 नंबर चौराहे के पास, मोरार ग्वालियर
2	राजगढ़	श्री नरेन्द्र कुमार बाथम, प्रवर्तन अधिकारी	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, राजगढ़, मध्य प्रदेश
3	गुना	श्री शरद नामदेव, प्रवर्तन अधिकारी	जिला सहाकारी केन्द्रीय बैंक, एबी रोड, रेलवे स्टेशन के पास, गुना म.प्र.
4	श्योपुर	श्री शशिकांत रासमेरिया, लेखाधिकारी	नगर पालिका परिषद, गांधी चौक, श्योपुर।
5	अशोकनगर	श्री संजय कुन्हारे, अनुभाग पर्यवेक्षक	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मंडी रोड, तुलसी सरोवर कॉलोनी, अशोक नगर म.प्र.
6	दतिया	श्री सूरज प्रकाश प्रजापति, लेखाधिकारी	जिला शिक्षा केन्द्र, सिविल लाइन्स क्षेत्र, दतिया
7	भिण्ड	श्री उमेश कुमार यादव, प्रवर्तन अधिकारी	गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मालनपुर, भिण्ड म.प्र.
8	शिवपुरी	श्री महेंद्र गड्लिंग, प्रवर्तन अधिकारी	सेंट चार्ल्स स्कूल, पोहरी रोड, शिवपुरी म.प्र.
9	मुरैना	श्री मृगांक भूषण, अनुभाग पर्यवेक्षक	ESIC कार्यालय, कंसारा भवन, नगर पालिका चौराहा एबी रोड, एसबीआई बैंक के पास, बानमोर म.प्र.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर के क्षेत्राधिकार में आने वाले उपरोक्त जिलों में दिनांक 27/07/2026 को निधि आपके निकट शिविर का आयोजन किया जाएगा। सभी नियोक्ता/ कर्मचारी/ पेंशनर्स आदि भविष्य निधि से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु उक्त दिये गए पते पर समय 09.30 AM से 05.45 PM तक जाकर नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी से संपर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते है।

कार्यालय के दूरभाष : 0751-2638900 एवं 0751-3535832

मोबा.नं. +91 9301903862

ईमेल आईडी- ro.gwalior@epfindia.gov.in

आज्ञा से
सत्य वर्धन गौतम
क्षेत्रीय आयुक्त, ग्वालियर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई - भोपाल के अधीन आने वाले नीचे उल्लेखित टोल प्लाजाओं पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित उपयोगकर्ता शुल्क (टोल) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के स्वीकृति अनुसार दिनांक 26/07/2026 रात्रि 00:00 बजे से वसूल किया जावेगा जिसकी दरें निम्नानुसार होंगी-

1. मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 (नया रा.रा 45) पर बरेली बायपास-गौहरगंज खण्ड के किमी 193.000 से किमी 255.300 तक के खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर उपयोगकर्ता शुल्क टोल स्थान ग्राम **हर्षिली** (कि.मी. 210.500) के निकट, जिला रायसेन में निम्न दरों के अनुसार देय होगा -

(राशि ₹ में)

वाहन की श्रेणी	एकल यात्रा के लिए शुल्क(₹)	एक दिन के भीतर वापसी यात्रा के लिए शुल्क (₹)	50 यात्रा के लिए मान्य मासिक शुल्क (₹)	जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के लिए शुल्क (₹)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	155	235	5225	80
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	255	380	8435	125
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	530	795	17680	265
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	580	870	19285	290
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.भ.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छः धुरी वाले)	830	1250	27720	415
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	1010	1520	33750	505

2. मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 (नया रा.रा 45) पर सिंदूर रिवर - बरेली बायपास खण्ड के किमी 130.000 से किमी 193.000 तक के खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर उपयोगकर्ता शुल्क टोल स्थान ग्राम **खिरिया** (कि.मी. 165.150) के निकट, जिला रायसेन में निम्न दरों के अनुसार देय होगा -

(राशि ₹ में)

वाहन की श्रेणी	एकल यात्रा के लिए शुल्क(₹)	एक दिन के भीतर वापसी यात्रा के लिए शुल्क (₹)	50 यात्रा के लिए मान्य मासिक शुल्क (₹)	जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के लिए शुल्क (₹)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	105	155	3425	50
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	165	250	5530	85
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	350	520	11585	175
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	380	570	12640	190
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.भ.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छः धुरी वाले)	545	820	18170	275
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	665	995	22120	330

3. मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 86 (विस्तार) (नया रा.रा 146) पर भोपाल - सांची खण्ड के किमी 0.000 से किमी 53.775 तक के खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर उपयोगकर्ता शुल्क टोल स्थान ग्राम **सेहतगंज** (कि.मी. 13.280) के निकट, जिला रायसेन में निम्न दरों के अनुसार देय होगा -

(राशि ₹ में)

वाहन की श्रेणी	एकल यात्रा के लिए शुल्क(₹)	एक दिन के भीतर वापसी यात्रा के लिए शुल्क (₹)	50 यात्रा के लिए मान्य मासिक शुल्क (₹)	जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के लिए शुल्क (₹)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	30	40	925	15
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	45	65	1500	20
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	95	140	3140	45
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	105	155	3425	50
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.भ.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छः धुरी वाले)	150	220	4920	75
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	180	270	5990	90

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2026-27 के लिए प्रत्येक टोल प्लाजा के लिए मासिक पास की दर 360.00 रूपए (तीन सौ साठ रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जावेगा।
5. उक्त टोल प्लाजा पर केवल फास्टैग द्वारा ही शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 298 दिनांक 15 मई, 2020 अनुसार ऐसे यान का उपयोक्ता, जिसके यान पर फास्टैग नहीं लगा है या यान वैध क्रियाशील फास्टैग के बिना फीस प्लाजा की फास्टैग लेन में प्रवेश करता है तो नियम-4 के उप नियम (2) के अनुसार यान की उस श्रेणी के लिए लागू फीस के दोगुने फीस के बराबर फीस का भुगतान करना होगा।
6. किसी भी प्रकार की जानकारी, शिकायत अथवा सुझाव हेतु निम्नलिखित कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है -

परियोजना क्रियान्वयन इकाई : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई - भोपाल
पता : मकान नं. एच.आई.जी. 5/ई-3, अरेरा कालोनी, गणेश मन्दिर के पास, पुराना हबीबगंज नाका, भोपाल (म.प्र.) 462016
दूरभाष क्रमांक : 0755-2465604/05
ईमेल आई डी : bhopal@nhai.org

सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी

केनरा बैंक Canara Bank — भारत सरकार का उपक्रम — A Govt. of India Undertaking — सिंडिकेट Syndicate

केनरा बैंक, स्पेशलाइज्ड, ए.आर.एम. शाखा, प्लाट नं. 4, पीएसपी एरिया, एम्स के पास, साकेत नगर, भोपाल फोन : 8989014648

ई-नीलामी सूचना

परिशिष्ट - IV क [नियम 8(6) एवं 9 का परन्तुक देखें]

चल/अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के अन्तर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

आम जनता को साधारणतः एवं निम्न वर्णित अचल संपत्तियों के ऋणियों एवं जमानतदारों को विशेषतः सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित संपत्तियाँ **केनरा बैंक (सुरक्षित लेनदार)** के पास बंधक है तथा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित संपत्तियों का उसके **कब्जा** ले लिया गया है। निम्नवर्णित संपत्तियों का विक्रय निम्नवर्णित दिनांक को **केनरा बैंक (सुरक्षित लेनदार)** के बकाया राशि को वसूल करने हेतु ''जैसा है जहां है, जो है जैसा है'' एवं ''जो कुछ भी है'' के आधार पर किया जा रहा है।

शाखा एवं खाते/ जमानतदार का नाम	संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक का नाम	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक / बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड बढ़ाने की राशि
ऋणी/बंधककर्ता: **श्री परम जीत सिंह पुत्र श्री गोविंद सिंह,** पी.नं. 16/ए, सैनिक कालोनी, बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.) 462030	संपत्ति का समस्त भू भाग स्थित फ्लैट क्रमांक 302, तीसरी मंजिल, कमलादेवी कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्रमांक 339, झरनेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, ग्राम-भैरोपुर होशंगाबाद रोड निर्मित क्षेत्रफल- 496.82 वर्गफीट चतुर्सीमाएं- पूर्वः फ्लैट नंबर 301, पश्चिमः रोड, उत्तरः प्लॉट नंबर 340 पर श्री ओम प्रकाश चौहान का मकान, दक्षिणः खाली प्लॉट, **PROPERTY ID: CNRB9513092502** भौतिक कब्जा **COORDINATES: 23.146723, 77.478519**	12/08/2024 / 11/10/2024 / दिनांक 23/07/2026 को ₹ 22,41,757.37 +ब्याज एवं अन्य खर्चे	₹ 8,31,000/- / ₹ 83,100/- / ₹ 10000/-

धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि **12/08/2026** या उससे पूर्व सायं 5.00 बजे तक
ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : **13/08/2026**, दोपहर 12.00 से दोपहर 2.00 बजे तक (5 मिनिट के असीमित विस्तार पर)

(1) इच्छुक बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य की 10% अग्रिम राशि (ईएमडी) सीधे मेसर्स पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड (baanknet.com) पोर्टल के ई-वॉलेट में जमा करनी होगी या चालान जनरेट करके बोली जमा करने की उपरोक्त तिथि को उक्त चालान में उल्लिखित खाता विवरण में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करनी होगी।
(2) सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) उसके पक्ष में बिक्री होने के तुरंत बाद जमा करना होगा और शेष राशि बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यदि सफल बोलीदाता उपरोक्त अनुसार बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
(3) सभी शुल्क, स्टांप शुल्क/जीएसटी पंजीकरण शुल्क आदि, जैसा लागू हो और कोई भी कर, राजस्व/किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को बकाया आदि केवल सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु वेबपोर्टल http://BAANKNET.com देखें अथवा सम्पर्क करें- मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक, स्पेशलाइज्ड, ए.आर.एम. शाखा, प्लाट नं. 4, पीएसपी एरिया, एम्स के पास, साकेत नगर, भोपाल 8989014648, 8057766078, 9691096410, 9123403299 (भोपाल), 7905027805 (जबलपुर एवं बिलासपुर), 7683068902 (रायपुर), 9140476074 (ग्वालियर), 9830130770 (इंदौर), 8073562754 (BHOPAL)
दिनांक : 23/07/2026, स्थान : भोपाल — प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक

बैंक ऑफ़ इंडिया

आंचलिक कार्यालय:
भोपाल अंचल बैंक ऑफ इंडिया भवन,
जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल
फोन : 0755-2556770, 2555169
E-mail: bhopal.assetrecovery@bankofindia.bank.in

परिशिष्ट - IV क [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

आम जनता को साधारणतः एवं निम्न वर्णित अचल संपत्तियों के ऋणियों एवं जमानतदारों को विशेषतः सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित संपत्तियाँ **बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित लेनदार)** के पास बंधक है तथा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित संपत्तियों का उसके **भौतिक /सांकेतिक कब्जा** ले लिया गया है। निम्नवर्णित संपत्तियों का विक्रय दिनांक **11.08.2026** को **बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित लेनदार)** के बकाया राशि को वसूल करने हेतु ''जैसा है जहां है, जो है जैसा है'' एवं ''जो कुछ भी है'' के आधार पर किया जा रहा है। आरक्षित मूल्य एवं धरोहर राशि का विवरण निम्नानुसार है। नीलामी अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफार्म के वेबपोर्टल **http://BAANKNET.com** पर संपन्न होगी।

ऋणी /जमानतदार का नाम मांग नोटिस राशि	बंधक रखी संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति के बंधककर्ता का नाम	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड वृद्धि राशि
गुलमोहर शाखा भोपाल, फोन : 8305819840 Account to deposit auction sale proceeds- 900990200000033, IFSC- BKID0009009		
ऋणी: **श्रीमती रंजना प्रद